

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई मेल- ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

No RAJ/JHN-4/CU-2/ Vol-IV

Date- 05/7/21

प्रेषित Agent Mines,
Kolihan Copper Mine
M/S Hindustan Copper Ltd,
P.O.- Khetri Nagar,
Distt. Jhunjhunu, Rajasthan

विषय: राजस्थान राज्य के Jhunjhunu जिले में स्थित आपकी Kolihan Copper खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 14RAJ17003)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 13/4/2021 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।
नियम उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

11(1) 1) The Mining operations are carried out in violation of following provisions of approved review of mining plan & progressive mine closure Plan (approved on 23/1/2020).
A Total of 21 boreholes were proposed for carrying out prospecting but only 14 boreholes were drilled during 2020-21.

26 (2) The annual report of compliance of protective, reclamation & rehabilitation work of PMCP required to be submitted each year before 1 July of the year has not been submitted to the Regional Controller.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

(क) आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

(एच.सी.शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो